रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18] दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 2, 2010/माघ 13, 1931 [रा.रा.रा.क्षे. दि. सं. 299
No. 18] DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 2, 2010/MAGHA 13, 1931 [N.C.T.D. No. 299

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (वा एवं व्यापार) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 2 फरवरी, 2010

सं. फा. 3(9)/वित्त (वा. एवं व्या.)/2009-10/जे0एस0ए0/66.—दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 47 के साथ पठित दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 1) की धारा 66 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, मूल्य संवर्धित कर आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को उक्त अधिनियम के प्रशासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को पदग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं, अर्थात् :—

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती/कु.)	पदनाम
1.	अर. सी. गुप्ता	मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
2.	ब्रज मोहन	मूल्य संवर्धित कर अधिकारी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

अजय कुमार गर्ग, संयुक्त सचिव

FINANCE (T & E) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd February, 2010

No. F. 3(9)/Fin. (T & E)/2009-10/JSFin./66.—In exercise of the power conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), read with rule 47 of the Delhi Value Added Tax rules, 2005, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following officers, with effect.

from the date of assumption of charge to assist the Commissioner of Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Act, namely :—

S. No.	Name of the Officer (Sh./Smt./Km.)	Appointed As
1.	R. C. Gupta	Value Added Tax Officer
2.	Brij Mohan	Value Added Tax Officer

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

AJAY KUMAR GARG, Jt. Secy.

ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 2 फरवरी, 2010

सं. फा. 11(29)/2002/ऊर्जा/235.—इस सरकार की दिनांक 13-8-2007 की अधिसूचना संख्या फा. 11(29)/2002/ऊर्जा/1797 का आंशिक आरोपण तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 फरवरी, 2004 की अधिसूचना सं. फा. यू. 11030/2/2003-यू.टी.एल. के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, माननीय उच्च न्यायालय की सहमति से श्री एन. पी. कौशिक, अपर सत्र न्यायाधीश के स्थान पर श्री गुलशन कुमार, दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के एक अधिकारी को अपर सत्र न्यायाधीश (विद्युत), मध्य के रूप में उनके कार्यग्रहण की तिथि से आगामी आदेश तक मध्य जिले से संबंधित तीस हजारी स्थित विशेष विद्युत जिला न्यायालय में बीएसईएस, यमुना पॉवर लिमिटेड के क्षेत्राधिकार में उक्त अधिनियम की धारा 135 से 139 में उल्लिखित अपराधों के मुकदमे लड़ने के लिये गठित विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिये नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,

राजेन्द्र कुमार, सचिव

DEPARTMENT OF POWER

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd February, 2010

No. F. 11(29)/2002/Power/235.—In partial modification of this Government's Notification No. F. 11(29)/2002/Power/1797 dated 13-8-2007 and in exercise of the powers conferred by Section 153 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification F.No. U-11030/2/2003/UTL dated the 20th February, 2004, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, with the concurrence of the Hon'ble High Court of Delhi, hereby appoints Mr. Gulshan Kumar, an officer of Delhi Higher Judicial Service as Additional Sessions Judge (Electricity), Central, Tis Hazari vice Mr. N.P. Kaushik, Additional Sessions Judge, to preside over the Special Court constituted to try cases pertaining to offences referred to in Sections 135 to 139 of the said Act, arising out of jurisdiction of BSES Yamuna Power Limited, at Tis Hazari Special Electricity Court relating to Central District, with effect from the date he takes over the charge, till further orders.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

RAJENDRA KUMAR, Secy.

सेवाएँ विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 2 फरवरी, 2010

सं. फा. 2/13/आरआर/09/से.-IV/283.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 15-7-1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59-एचआईएम (1) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिनांक 10 फरवरी, 1967 की अधिसूचना सं. फा. 3(16)/66-सेवाएं (ग) (समय-समय पर यथासंशोधित) के

अनुसार बनाई गई दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1967 में आगे संशोधन के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियमावली, 2009 कहा जायेगा।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 8 का संशोधन.**—(1) दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1967 (इसके बाद 'मूल नियमावली' के रूप में संदर्भित) शेड 4 में मदों से संबंधित उपनियम-IV के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(IV) शेड में रिक्तियों को पचास प्रतिशत रिक्तियों निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवारों के बीच में से दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली खुली प्रतियोगी परीक्षा से भरी जायेंगी, अर्थात् :—

(क) सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिये न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं एवं आयु सीमा :—

(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष योग्यता, तथा

(ii) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइपिंग।

अथवा

कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति (35 शब्द प्रति मिनट तक 30 शब्द प्रति मिनट को जोड़कर प्रत्येक शब्द के लिये 5 की डिप्रेशन्स की औसतन गति पर 10500 केडीपीएच/9000 केडीपीएच)।

(iii) सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिये आयु सीमा 18 से 27 वर्ष के बीच होगी।

(इस विषय पर समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों/अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सरकारी कर्मचारियों को रियायत दी जायेगी)।

(2) शेड में रिक्त पदों के पंद्रह प्रतिशत पद समूह 'ग' के उन कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा 1800 रुपये के ग्रेड वेतन सहित भरे जायेंगे, जो किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समकक्ष योग्यता रखते हों और अनुभवयुक्तता के वह होने की सही सर्विस परिच्छेदक्रम के आधार पर कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। इस पद्धति से चुने गए उम्मीदवारों को, जब तक दिल्ली के उपरान्यायपाल द्वारा छूट न दी गई हो, तब तक उन्हें परिवीक्षाधीन अवधि में दिल्ली बैन्युअल टाइपराइटर पर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से या हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से अथवा कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से (35 शब्द प्रति मिनट तथा 30 शब्द प्रति मिनट के क्रमशः प्रत्येक शब्द के लिये 5 की डिप्रेशन्स औसतन 10500 केडीपीएच/9000 केडीपीएच) टाइप लेखन की कोई परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

टीप : शारीरिक रूप से विकलांग उन व्यक्तियों के लिये टाइप लेखन की परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा शिथिलनीय है जो चुनौती पद धारण कराने के लिये अन्यथा सुयोग्य है और जो समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी प्रचलित अनुदेशों के अनुसार नियमित चिकित्सा बोर्ड द्वारा शारीरिक अक्षमता के आधार पर टाइप करने की लिये अनुपयुक्त प्रमाणित किये गए हैं।"

3. **नियम 27 का संशोधन.**—मूल नियमावली के नियम 27 के उपनियम (1) में क्रम संख्या 4 की मद के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी :—

"4. 1900 रुपये के ग्रेड वेतन वाले 5200-20200 रुपये के पेबैंड में ग्रेड-IV।"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से और उनके नाम पर,

आशीष दीक्षित, अतिरिक्त सचिव (सेवाएं)

SERVICES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd February, 2010

No. F. 2/13/RR/09/S. IV/283.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F. 27/59-Him (J) dated 15th July, 1959 and all other powers enabling him in this behalf, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules further to amend the Delhi Administration Subordinate Services Rules, 1967 framed vide Notification No. F. 3(16)/66-Services (c) dated 10th February, 1967 (as amended from time to time) namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Delhi Administration Subordinate Services (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force with effect from the date of publication of this notification in the Delhi Gazette.

2. Amendment of Rule 6.—(1) In the Delhi Administration Subordinate Services Rules, 1967 (hereinafter referred to as the "Principal Rules", for sub-rule (IV), relating to recruitment to Grade IV, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(IV) Recruitment to Grade IV—(1) Eighty-five per cent of the vacancies in the grade shall be filled up by open competitive examination to be held by the Delhi Subordinate Services Selection Board from amongst the candidates having following qualifications namely :—

(a) Minimum educational qualification and age limit for direct recruitment :—

(i) 12th Class or equivalent qualification from a recognized Board or University; and

(ii) A typing speed of 30 w.p.m. in English or 25 w.p.m. in Hindi on manual Typewriter.

OR

A typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer. (35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word).

(iii) Age limit for direct recruits shall be between 18-27 years.

(Relaxable in case of SCs/STs/OBCs and Government servants as per orders/instructions issued by the Government of India from time to time on the subject-matter).

(2) Fifteen per cent of the vacancies in grade shall be filled by promotion from Group C employees with the grade pay of Rs. 1800 who possess qualification of Matric or equivalent from recognized board/university and having put in atleast 3 years regular service on the basis of seniority subject to rejection of unfit. The candidates selected by this method shall be required to pass a test in typewriting at the speed of 30 w.p.m. in English or 25 w.p.m. in Hindi on manual typewriter OR at the speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer (35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word) during the period of probation unless exempted by the Lt. Governor of Delhi.

Note : The requirement of passing typewriting test is relaxable for physically handicapped persons who are otherwise qualified to hold the aforesaid post and who are certified as being unable to type on account of physical disability by the prescribed Medical Board in accordance with the prevailing instructions of Government of India issued from time to time."

3. Amendment of Rule 27.—In the principal Rules, in rule 27, in sub-rule (1), for item at S. No. 4, the following item shall be substituted :—

"4. Grade IV in the Pay Band of Rs. 5200-20200 having Grade Pay Rs. 1900."

By Order and in the Name of the Lt. Governor

of the National Capital Territory of Delhi,

ALKA DIWAN, Addl. Secy.

अधिसूचना

दिल्ली, 2 फरवरी, 2010

सं. फा. डीटीयू/ओआरजी/एचओओ/अधि./04(1)/2009/114.—दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (2009 का दिल्ली अधिनियम 6) की धारा 32 की उप-धारा (2) द्वारा उदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रबंधन बोर्ड दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इसके द्वारा प्रौद्योगिकी निष्णात (एम टैक) उपाधि के लिए स्नातकोत्तर अध्ययन पाठ्यक्रमों में दाखिला, संचालन एवं परीक्षाओं के मूल्यांकन संबंधी अध्यादेश-2 बनाते हैं।

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.—(क) यह अध्यादेश दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (द्वितीय) अध्यादेश, 2009 कहा जायेगा।

(ख) ये प्रबंधन बोर्ड की बैठक की तिथि अर्थात् 21-11-2009 से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषा.—(1) इन अध्यादेशों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—